कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(प्रसार अनुभाग, आत्मा प्रकोष्ठ)

पत्रांक-आत्मा/ /एस०एन०सी०/प०सं०10/2015-16/दिनांक- 11 /03/2016

समस्त उप कृषि निदेशक,
कृषि तकनीक प्रबन्ध अभिकरण (आत्मा),
उत्तर प्रदेश।

कृपया पत्र के साथ संलग्न Incentive for regisatration of farmers to facilitate DBT वर्ष 2015-16 की कार्य योजना का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रसार सुधार योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर संविदा पर कार्यरत बी०टी०एम० एंव ए०टी०एम० के माध्यम से DBT योजनान्तर्गत सब्सिडी की धनराशि सीधे किसान के खाते में स्थानान्तरित करने हेतु कृषकों के पंजीकरण कराने पर प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रश्नगत कार्य हेतु पंत्राक नि०ले०/००१-२३१-पी० दिनांक ०३-०३-२०१६ द्वारा आपको आवंटन किया जा चुका है। धनराशि का उपभोग निम्न बिन्दुओं का पालन करते हुये करना सुनिश्चित करें -

1. बी०टी०एम०/ए०टी०एम० द्वारा उन क्षेत्रों/गाँवों के किसानों का पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाये, जिन क्षेत्रों/गाँवों के किसान कम पंजीकृत हुये हैं।
2. जिन किसानों का पंजीकरण बी०टी०एम०/ए०टी०एम० द्वारा कराया जाये उन किसानों के तीनो अभिलेख (आई०डी०प्रूफ, खतौनी की नकल तथा बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति) अपने सुरक्षित रखें तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उप कृषि निदेशक के कार्यालय पर जमा करायें, इन अभिलेखों में उनके द्वारा पंजीकृत कराये गये किसानों का पंजीकरण नम्बर का अंकन अवश्य किया जाये।
3. सेवा प्रदाता के कार्मिक एवं किसानों द्वारा स्वयं कराये गये पंजीकरण तथा इस कार्य के लिये धन आवंटन करके पूर्व कराये गये कार्य को किसी भी बी०टी०एम०/ए०टी०एम० द्वारा कराये गये पंजीकरण में न जोड़ा जाये।. उप कृषि निदेशक के द्वारा भुगतान के पूर्व इस बात की पुष्टि अवश्यक कर ली जाये कि किस बी०टी०एम०/ए०टी०एम० द्वारा कितने किसानों का पंजीकरण कराया गया है, तदनुसार सन्तुष्टि के उपरान्त प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान सम्बन्धित बी०टी०एम०/ए०टी०एम० को ही किया जाये।
4. प्रोत्साहन धनराशि के व्यय के सापेक्ष पंजीकरण संख्या आनलाइन प्रदर्शित होना आवश्यक है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये पारदर्शी किसान सेवा योजना अन्तर्गत किसानों का आनलाइन पंजीकरण कराते हुये अपने जनपद का लक्ष्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(मुकेश कुमार श्रीवास्तव)
कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-आत्मा/379/एस०एन०सी०/प०सं०10/2015-16/दिनांक- उक्त।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश।

Phone : 0522-2204249 e-mail : ncatmaup@yahoo.co.in